संख्या-14/2022/I/130561/2022-23-11099(099)/190/2021

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2022**

विषय:- जनपद वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 04 लेन में माडल सड़क का निर्माण (लम्बाई 8.15 कि0मी0) एवं अन्य विविध कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2733नि0/148-01नि0/2021-22, दिनांक 09-12-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं गंगा दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 04 लेन में मॉडल सड़क का निर्माण एवं अन्य विविध कार्य योजनान्तर्गत जनपद वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 04 लेन में माडल सड़क का निर्माण (लम्बाई 8.15 कि0मी0) एवं अन्य विविध कार्य की आंकलित लागत रू0 237209.04 लाख (रूपये तेईस अरब बहत्तर करोड़ नौ लाख चार हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागत के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 1.00 लाख (रूपया एक लाख मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	आवंटन
1	वाराणसी प्रा0ख0	जनपद वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 04 लेन में माडल सड़क का निर्माण (लम्बाई 8.15 कि0मी0) एवं अन्य विविध कार्य।	237209.04	1.00

(1) प्रायोजना में सर्वप्रथम भूमि अध्यासि/अधिग्रहण का कार्य पूर्ण किया जाय तदोपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(2) प्रश्नगत प्रायोजना एक वृहद इनोवेटिव प्रायोजना है तथा इसमें प्रस्तावित कान्सेप्ट एवं प्राविधानों की विभाग स्तर पर सूक्ष्मतम डिटेलिंग कराने के उपरान्त सर्व प्रथम इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने का उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

(9) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(10) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(11) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(12) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(13) प्रायोजनान्तर्गत 27.02 हे0 भूमि अधिग्रहण की लागत रू0 37154.78 लाख अनुमन्य की गयी है। विभाग समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए इनका अधिग्रहण न्यूनतम् आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सी0ए0एल0ए0 (कम्पीटेन्ट ऑथारिटी फार लैण्ड एक्यूजीशन) के माध्यम से किया जाय।

(14) प्रायोजनान्तर्गत सस्पेन्शन ब्रिज की लागत रू0 36819.53 लाख प्रस्तावित की गयी है, जिसे समिति द्वारा आंकलित लागत में यथावत अनुमन्य कर दिया गया है, क्योकि इससे सम्बन्धित कोई तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्धता नहीं है। प्रायोजना क्रियान्वयन से पूर्व विभाग/कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। चूँकिं यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में

अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: विभाग द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय। साथ ही त्योहार आदि के समय बढ़ती हुई भीड की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ससपेन्शन ब्रिज की विशालता (लम्बाई 1025 मी0) के दृष्टिगत इसकी स्थापना पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

(15) प्रायोजनान्तर्गत भवनों की क्षतिपूर्ति हेतु लागत रू0 3714.13 लाख अनुमन्य की गयी है। विभाग समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए इनका अधिग्रहण न्यूनतम् आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सी0ए0एल0ए0 (कम्पीटेन्ट ऑथारिटी फार लैण्ड एक्यूजीशन) के माध्यम से किया जाय।

(16) प्रायोजनान्तर्गत यूटीलिटी शिफ्टिंग हेतु वन विभाग एवं विद्युत विभाग हेतु लागत रू0 550.00 लाख अनुमन्य की गयी है। विभाग सम्बन्धित विभागों से इनका विस्तृत आगणन प्राप्त कर तथा सक्षम स्तर से इन पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(18) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(19) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(20) प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(21) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायी होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत कार्य का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(22) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1351- काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं गंगा दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 04 लेन में मॉडल सड़क का निर्माण एवं अन्य विविध कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-8-3560-दस-2021-22, दिनांक 07 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in